



कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

सेवा में

पत्रांक ४७१

दिनांक ०८|०३|२०२२

श्री निपेन्द्र नाथ,
परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ०सी०पी०,
डाक बंगला बिल्डिंग, टण्डवा
जिला— चतरा।

विषयः—

मगध खुली खदान परियोजना फेज-2 के लिए 192.36 हौं (वनभूमि—57.29 हौं एवं जंगल—झाड़ी 135.07 हौं) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की जांच के क्रम में पाये गये त्रुटियों के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 2605 दिनांक 27.10.2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा मगध खुली खदान परियोजना फेज-2 के लिए 192.36 हेठो (वनभूमि— 57.29 हेठो एवं जंगल-झाड़ी 135.07 हेठो) वनभूमि अपयोजन का ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन समर्पित प्रस्ताव पर पृच्छा करते हुये संशोधित प्रस्ताव की मांग की गई थी परन्तु बिना त्रुटियों के निराकरण किये हुये ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव पुनः समर्पित किया गया है। समर्पित संशोधित प्रस्ताव की जांच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार किया गया। जांचोपरांत प्रस्ताव में कई त्रुटियाँ एवं कमियाँ पाई जो निम्नवत् है :-

ऑन लाईन त्रुटियाँ

- पार्ट-1 की कंडिका A 1 (iii) में Scheme for which forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस परियोजना हेतु वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।
 - पार्ट-1 की कंडिका A 3 (i) में Details of person making application में अवनिश कुमार नाम अंकित है जबकि प्रस्ताव की सभी पृष्ठों पर निपेन्द्र नाथ, परियोजना पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर अंकित है। उक्त कंडिका में Person Making application में निपेन्द्र नाथ परियोजना पदाधिकारी का नाम अंकित किया जाना उचित है।
 - पार्ट-1 की कंडिका B 1 में List of proposal submitted in past में शुन्य अंकित है, जबकि मगध ओ०सी०पी० 96.72 हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ण विवरणीय विहित प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य है।
 - पार्ट-1 की कंडिका B 2.4 में Component wise breakup में एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये Component wise कार्य करने हेतु उल्लेख के अनुसार Component wise breakup में काफी भिन्नता है। इसे स्पष्ट किया जाय।
 - पार्ट-1 की कंडिका C (ii) (a) में Number of patches- 10 अंकित है जबकि अपयोजित होने वाले वनभूमि का कुल रकबा 9 पैचवार रकबा से ही पूर्ण हो जाती है। पैच नं० 10 का KML File upload करने का क्या औचित्य है।
 - पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में 1:50000 स्केल में टोपो मैप पर अपयोजित होने वाले वनभूमि को दर्शाते हुए अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
 - पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

8. पार्ट-1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
9. पार्ट-1 की कंडिका G (i) में विषयगत परियोजना से संबंधित हानि-लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
10. पार्ट-1 की कंडिका H(i)(c) में विषयगत परियोजना से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कंडिका H(i)(d) में पर्यावरणीय स्वीकृति का तिथि अंकित करना है। जहाँ शून्य अंकित किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
11. पार्ट-1 की कंडिका K(i) में विषयगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित अपलोड प्रमाण-पत्र अपूर्ण है। इसका अनुपालन अपेक्षित है।
12. पार्ट-1 की कंडिका L (iii) में Reason for not providing non forest land के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाय।
13. पार्ट-1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha): 495.92 ha. Area अंकित है जबकि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना में कुल 1769 हेक्टर भूमि पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों में विरोधाभासी है। स्पष्ट करें।
14. पार्ट-1 की कंडिका M.2.(iii) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
15. पार्ट-1 की कंडिका M.2.(vi) में Land use plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
16. पार्ट-1 की कंडिका M.6.(i) में Details of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 में Nil अंकित है। इसमें मगध ओ०सी०पी० 96.72 हेक्टर प्राप्त अंतिम स्वीकृति के संबंध में सभी कॉलम में स्पष्ट अंकित किया जाय। गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
17. पार्ट-1 के Additional Information Details में ED, Nodal द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार Manual Part-1 की हस्ताक्षरित प्रति, एन०पी०भी० एवं क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु मांग के अनुसार जमा करने हेतु दिये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी प्रस्ताव में लगाना अनिवार्य है।

ऑफ लाईन त्रुटियाँ

- प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों का नंबरिंग पिछे करना है, जबकि आगे से किया हुआ है एवं अनुलग्नक अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- पार्ट-1 के कंडिका M में Total of mining lease in (ha.) :495.92 ha. रकबा अंकित है जिसमें 276.04 हेक्टर वनभूमि लेने का उल्लेख किया गया है। उक्त परियोजना के विरुद्ध पूर्व में 96.72 हेक्टर वनभूमि पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। दोनों का रकबा मिलान करने पर वनभूमि हेतु उल्लेखित रकबा में भिन्नता पायी गई है इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- मगध परियोजना हेतु CB Act, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि का KML File जिसमें वनभूमि/जंगल-झाड़ी भूमि अलग-अलग रंगों से अंकित हो। उसे उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- मगध ओ०सी०पी० 96.72 हेक्टर अपयोजित वनभूमि का KML File जिसमें वनभूमि/जंगल-झाड़ी भूमि अलग-अलग रंगों से अंकित हो। उसे उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- मगध परियोजना के लिए Coal Bearing Area के तहत अधिग्रहित कुल रकबा जिसमें वनभूमि/गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी/रैयती भूमि का स्पष्ट उल्लेख हो तत्पश्चात उसमें से 96.72 हेक्टर वनभूमि जिस पर भारत सरकार द्वारा कार्य करने की अनुमति प्राप्त है। उसकी पूर्ण विवरणी

तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रभावित भूमियों की पूर्ण विवरणी के साथ भूमि विवरणी एवं सारांश प्रस्ताव के साथ तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य है।

6. प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule as per खतियान पार्ट-2 के अनुसार प्लॉटवार भूमि का किस्म अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
7. मौजा— सरादु के प्लॉट संख्या— 490 रकबा— 0.42 हेठो, प्लॉट संख्या— 494 के रकबा— 0.08 हेठो, 820 के रकबा— 0.83 हेठो, 436पी० के रकबा— 0.86हेठो कुल 2.19 हेठो एवं मौजा कुंडी के प्लॉट संख्या 353 के रकबा— 0.20 हेठो, 355 के रकबा— 0.42 हेठो, 365 के रकबा— 1.67 हेठो कुल 2.29 हेठो दोनों मौजा के रकबा को अपयोजित होने वाले वनभूमि में शामिल करना होगा क्यों कि उक्त प्लॉटों का भूमि का किस्म खतियान पार्ट- 2 में जंगल-झाड़ी दर्ज है।
8. प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule के मौजा सरादु के प्लॉट नं०— 594, 629 एवं 631 तथा मौजा— कुंडी के प्लॉट संख्या— 399 में भूमि का किस्म अंकित नहीं है एवं खाली है। ऐसी स्थिति उपरोक्त ग्रामों के संबंध में रिविजनल सर्वे (RS) हुआ है अथवा नहीं। यदि रिविजनल सर्वे (R S) हुआ है तो विभागीय पत्रांक —05:/स०भ०० लातेहार (विविध) —181/18(छाया संचिका) —4715 दिनांक 27.11.2018 द्वारा जारी निर्देश के आलोक में विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व संबंधी उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं आपसे वचनबद्धता की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि Authenticated Land schedule की मूल एवं पठनीय प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. अपयोजित होने वाले वनभूमि में 135.07 हेठो गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि प्रभावित होंगे परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 546.30 एकड़ (221.17 हेठो) गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि का निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न है। दोनों में विरोधाभाषी है स्पष्ट किया जाय। साथ ही मौजा सरादु का कुल रकबा— 2.19 हेठो एवं कुंडी का कुल रकबा— 2.29 हेठो जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र आवश्यक है।
10. अपयोजित होने वाले वनभूमि कुल 192.36 हेठो है, परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 651.16 हेठो एवं 32.15 हेठो वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न है। दोनों में विरोधाभाषी है। स्पष्ट किया जाय।
11. वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।
12. विषयगत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मौजा— सरादु, देवलगडा, आराचमातु, गणेशपुर एवं फुलवरिया में कोल खनन परियोजना का निर्माण किया जाएगा, परन्तु प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में मौजा— मासीलौंग, देवलगडा, सरादु एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित है। अतः दोनों में विरोधाभाषी है। स्पष्ट करें।
13. अपयोजित होने वाली वनभूमि में ESZ/जैविक विविधता/नेशनल पार्क/वन्य प्राणी आश्रयणी/टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नहीं पड़ता है, से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
14. अपयोजित होने वाली वनभूमि में पुराने किला, मंदिर एवं बंगला नहीं है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
15. अपयोजित होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
16. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाला वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नहीं है। एवं इस क्रम में तैयार किये गये file की प्रति संलग्न नहीं है।
17. विषयगत परियोजना में CBA-1957 के तहत अधिग्रहित भूमि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं शेष बचे भूमि हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि विवरणी एवं सरांश प्रस्ताव में संलग्न होना अनिवार्य है, जो नहीं है।
18. प्रस्ताव के साथ RR Plan संलग्न नहीं है।
19. प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न नहीं है।

20. प्रस्ताव में संलग्न मौजा मैप पर दिखाए गये लीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर प्राप्त स्वीकृति हेतु क्षेत्र को अलग—अलग रंगो से दर्शाते हुए इण्डेक्स में दिखा कर नक्शा संलग्न नहीं है।
 21. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में दिखाये गये रकबा एवं नक्शा पर वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा का मापी कराने का उपरांत काफी भिन्नता पाई गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि कहीं भी दिक्त आति है, तो हमारे प्रमंडलीय अमीन से संपर्क स्थापित कर उसकी पुष्टी किया जा सकता है।
 22. प्रस्ताव के साथ मदवार (Component wise) विवरणी में Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone का उल्लेख है, परन्तु इनके कार्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये गये हैं। इसे स्पष्ट करना आवश्यक है।
 23. मगध ओ०सी०पी० 96.72 हेठो वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। उक्त अपयोजित वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file समर्पित करना अनिवार्य है। ताकि प्रस्तावित अपयोजित होने वाले वनभूमि क्षेत्र में ओभर लेप न हो उसका मिलान किया जा सकें।

अतः उपरोक्त त्रूटियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु०—यथोक्त ।

विश्वकृतभाजन

104 13/03/2022

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल |

 Amy
08/03/2022